(वाद सं0.-2330/2018)

02.03.2021

जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की ओर से प्राधिकृत, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर, श्री चंदन चौहान, उपस्थित है।

श्री चौहान को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला पंचायत विशनपुर श्रीराम, गांव–खासपट्टी यदुनाथपुर, वार्ड सं0–9, प्रखण्ड–मुरौल, जिला–मुजफ्फरपुर निवासी, परिवादी, नरेश कुमार को प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी शर्तो को पुरा करने के बाद भी उसे प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित है।

निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरौल के प्रतिवदेन के आलोक में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के परिवादी के परिवाद के नाम से निर्गत **"पूर्विकर्त्ताप्राप्त गृहस्थी राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 के आधार पर निर्गत है, इस राशन कार्ड में इनके पिता–कन्हाई महतो के साथ आवेदक का भी नाम दर्ज है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सेक डाटा सूची जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामोण अन्तर्गत लाभ दिया जाना है, इस सूची में ना तो कन्हाई महतो या नरेश कुमार का नाम दर्ज है। सेक डाटा में नाम दर्ज नही होने के कारण इन्हे वर्तमान में आवास का लाभ नहीं दिया गया है।**

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा आवास प्लस ऐप बंद हो जाने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत इनका नाम नही जोड़ा जा सका है। कालान्तर में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवास प्लस ऐप खुलने के पश्चात् परिवादी का आवास प्लस ऐप पर नाम जोड़ने के उपरान्त आवास का लाभ दिया जा सकता है।

परिवादी द्वारा द्वितीय बिन्दु अर्थात ए0पी0एल0 परिवार राजेश्वर महतो एवं अन्य को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण मे वरीयता दिये जाने से संबंधित मामला उठाया गया है। इस संबंध मे स्पष्ट करना है कि एस0सी0सी0 फिलटर डाटा में नाम रहने के कारण नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लाभ दिया गया है। सेक डाटा सूची में जिनका नाम नहीं है, वर्तमान में उन्हे आवास लाभ नही दिया जा सकता है। भविष्य में सरकार द्वारा इस संदर्भ में मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त ही ए0पी0एल0 परिवार के संदर्भ में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ए0पी0एल0/बी0पी0एल0 का सर्वेक्षण 2007 में किया गया था। वर्तमान में एस0ई0सी0 का सर्वेक्षण वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर किया गया है। जिसमें से फिलटर कर सेक डाटा सूची 2015 में प्राप्त हुआ जिसके आधार पर योग्य पाये गये लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत आवास का लाभ दिया जा रहा है।"

निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुजफ्फरपुर का यह भी कथन है कि SECC सूची में परिवादी का नाम जोड़ने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए परिवादी का नाम ग्राम सभा से जोड़ने हेतु प्रस्ताव पारित किया जा चुका है परन्तु भारत सरकार द्वारा

Awas+App बंद रहने के कारण अभी तक SECC सूची में परिवादी का नाम नही जुड़ पाया है। भविष्य में Awas+App खुलने के बाद परिवादी के नाम को जोड़ने की प्रक्रिया पुरी कर दी जायेगी। Awas+App द्वारा SECC सूची में नाम जोड़ने के बाद परिवादी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नियमानुसार प्राप्त हो जायेगा।

अतः उक्त के आलोक में **जिलाधिकारी, मुजफ्फपुर** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामला को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **जिलाधिकारी, मुजफ्फपुर** से प्राप्त प्रतिवेदन (अनुलग्नको संहित) की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेष की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक